04/01/22 पत्रावली पेश हुई। अवलोकन फाईलेन जाहिर है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मुकदमे का निस्तारण हो चुका है। इसलिए आवेदन 212 RTA का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन 212 RTA को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर नक्शा से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।